रजिस्ट्री सं० डी. 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 1965/अग्रहायण 23, 1887

No. 184] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 1965/AGRAHAYANA 23, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December 1965

No. 37/1/XIII/65/T.—The following order by the President dated the 13th December, 1965, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

S. RADHAKRISHNAN,

President."

NEW DELHI;
December 13, 1965.

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1965

संख्या 37/1/XIII/65/डी.—राष्ट्रपति का दिनांक 13 दिसम्बर, 1965, का निम्न-लिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक-सभा का सत्रावसान करता हूं ।

नई दिल्ली,
13 दिसम्बर, 1965.

एस० राधाकृष्णन,
राष्ट्रपति ।"

श्यामलाल शकधर, सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965